<u>न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, अम्बेडकरनगर</u>

सरकार बनाम तुफेल अहमद आदि
एस.टी. वाद संख्याः–56 / 2024
अपराध संख्याः–163 / 1999
थानाः–आलापुर
जनपद–अम्बेडकर नगर

<u>11.06.2024</u>

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत। पत्रावली आरोप के विरचन हेतु नियत है। किन्तु प्रार्थीगण / अभियुक्तगण तुफैल अहमद आदि की ओर से प्रार्थना पत्र कागज सं0 7ब अंतर्गत धारा 227 द.प्र.सं. आरोप से उन्मोचित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं0 7ब अन्तर्गत धारा 227 जा0 फौ0 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि, वादी मुकदमा विजय शंकर राय तत्कालीन एस0आइ0 थाना–आलापुर द्वारा प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 163 / 1999, धारा–147, 323, 332, 342,156, 436,427,504,506, भा0दं0सं0 व धारा–7 क्रि0ला0 ए0 एक्ट के तहत थाना–मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वास्तविकता यह है कि कथित घटना के समय मो0 उमर ग्राम के प्रधान रहे। इसी गांव के रामफेर पुत्र रामसमुझ ने खलिहान की जमीन गाटा सं0–41 पर अवैध कब्जा कर रहा था जिसके बावत ग्राम प्रधान ने न्यायालय में मूल वाद सं0 579 / 1999 ग्राम पंचायत बनाम रामफेर आदि का मुकदमा दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया था। उसी खलिहान की जमीन पर दिनांक 27.10.1999 को वादी मुकदमा अतिक्रमणकर्ता रामफेर के नाजायज दबाव से प्रभावित होकर कब्जा करने की नीयत से मय अन्य पुलिस बल के साथ आये और खलिहान पर दीवाल बनवाने लगे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन अपने मकसद में कामयाब न होने पर वादी ने यह झूठा मुकदमा उनके विरूद्ध लिखा दिया। इसी बीच पुलिसबल के सहयोग से विपक्षी आदि ने मिलकर मो0 उमर के छप्परनुमा मकान में आग लगा दिया जिसके बावत उमर ने मु0अ0सं0 11 / 2000 जो धारा–156(3) दं0प्र0सं0 के तहत माननीय न्यायालय के आदेश से कायम हुआ। इस मुकदमें के विवेचक, वादी मो0 उमर ग्राम प्रधान द्वारा कायम कराये गये मुकदमें में अभियुक्त हैं। इसलिये विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना न करके गलत तथ्यों के आधार पर यह आरोप–पत्र प्रस्तुत किया और प्रार्थीगण को अभियुक्त बनाया है। कथित घटना के दिन इस मुकदमें में नामित अभियुक्त जुम्मन उर्फ गुल मोहम्मद नाबालिग था उसकी जन्मतिथि 04.01.1989 है और कथित घटना दिनांक 27.10.1999 की कही जाती है। इस प्रकार से कथित घटना के दिन अभियुक्त की उम्र 11 वर्ष 02 माह 17 दिन कही जाती है। मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थीगण पर मुकदमें में लगाया गया आरोप किसी भी दशा में साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण

को मुकदमें में डिस्चार्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वर्णित अपराधों से उन्मोचित किये जाने की याचना की गई।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति करते हुए आरोप विरचन हेतु पर्याप्त आधार होना कहा गया है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता व विद्वान शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रकरण में अभियुक्तगण तुफैल अहमद, फैयाज अहमद, मो0 जुबेर, गुलाम नबी, मो0 अजमल, मो0 मन्नान, मो0 अकरम, गुलाम उर्फ जिलानी, मो0 कमर, मो0 जुम्मन, मो0 अकमल, आमीना खातून व अंजुम के विरूद्ध आरोप पत्र धारा–147,323,332,336,342,436,186,427,504,506 भा.द.सं. के अन्तर्गत न्यायालय प्रेषित किया गया है।

संबंधित थाने की पुलिस द्वारा की गई विवेचना के उपरान्त प्रेषित आरोप पत्र पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया गया है। विवेचक एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है के विरूद्ध इस स्तर पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे अभियुक्तगण को आक्षेपित अभियोग से उन्मोचित् किया जा सके।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर आरोप विरचन के स्तर पर वाद लम्बित है। अभियोजन द्वारा अभी किसी भी साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है। इस स्तर पर न्यायालय द्वारा, विवेचक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री का सामान्य अवलोकन किया जाना है न कि उसका गहन एवं सूक्ष्म विश्लेषण किया जाना है। न्यायालय को इस स्तर पर यह नहीं देखना है कि दिए गए साक्ष्यों से अभियुक्त दोषसिद्ध होगा या दोषमुक्त होगा तथा आरोप विरचन के बिन्दु पर विनिर्णयन के ऐसे मापदण्ड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध होने योग्य हैं या नहीं, अपितु मात्र यह देखा जाना है कि अभियोग को प्रचलित किये जाने के उद्देश्य से आरोप हेतु पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं। जैसा कि **''स्टेट आफ बिहार बनाम रमेश सिंह, ए.आई.आर 1977 एससी 2018** एवं **''सुप्रिटेंडेंट एण्ड रिमेम्ब्रेन्सर आफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल बनाम अनिल कुमार भुंजा'' ए.आई.आर 1980 एससी पृष्ठ 52** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णयज विधियों में दिये गये अभिमत अनुसार प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से अपराध कारित होने के प्रति उत्पन्न बहुत गम्भीर संदेह के आधार पर भी आरोप विरचन हेतु प्रक्रिया प्रचलित हो सकती है।

उपरोक्त निर्णयज विधियों के आलोक में जैसा कि पूर्व में व्यक्त किया गया है वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट के अग्रेतर विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य एवं बयान अंतर्गत् धारा–161 द.प्र.सं. व समई साक्षियों के साक्ष्य से

स्पष्ट है कि, अभियुक्त के विरूद्ध आक्षेपित अभियोग में आरोप विरचन हेतु पर्याप्त आधार है।

उपरोक्त समस्त विवेचन, विश्लेषण एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोग साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आक्षेपित अभियोग में आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना कागज सं0 7ब अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 पत्र स्वीकृत होने योग्य नहीं हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना कागज सं0 7ब पत्र अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता हैं।

पत्रावली आरोप विरचन हेतु दिनांक 10.07.2024 को पेश हो।

(डॉ0 जया पाठक)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 कोड–5946

Digitally signed by JAYA PATHAK
Date: 2024.06.11 15:42:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court